को पेश हो

21/5/18

आज P.O.सा. के. कोर्ट में व्यस्त
अवकाश तक दी गई [illegible]
की पालना में दिनांक 11/7/18
को पेश हो

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय अधिक द्वारा 2018

कजोड़

22578 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प
मई रूपराजपुरा में पेश हुई। अपीलार्थी को
को सुना गया प्रार्थी का मूलवाद स्वीकार
होने का दावा डिक्री किया जाना चाहिए। दावा
डिक्री हो जाने के फलस्वरूप प्रार्थी के
प्रार्थना-पत्र अपील निषेधाज्ञा मर्मे
औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।
उक्त फैसले से असंतुष्ट होने से कम
से कम वाद मिसिल पर लेख भण्डार
एवं मूलवाद के संबंध में। निर्णय राजस्व
लोक अदालत रूपराजपुरा के कैम्प मई में मौखिक
रूप से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा